

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 1978/फाल्गुन 16, 1899
No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 1978/PHALGUNA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

माँवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1978

सा. खा. नि. 163(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन के न्यासी-मण्डल द्वारा निर्मित और महाराष्ट्र सरकार के तारीख 1 दिसम्बर, 1977 और

8 दिसम्बर, 1977 के राजपत्र में प्रकाशित बम्बई पोर्ट ट्रस्ट न्यास कर्मचारी (आवास का आवंटन और अधिभोगिता) संशोधन विनियम, 1977 का अनुमोदन करती हैं।

[सं. पी. डी. बी.-85/77]

वीवानचन्द अहीर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1978

G.S.R. 163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve of the regulations entitled the Bombay Port Trust Employees (Allotment and Occupancy of Residence) Amendment Regulations, 1977 made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Maharashtra Government Gazette dated the 1st December, 1977 and 8th December, 1977.

[No. PEB-85/77]

D. C. AHIR, Under Secy.